

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कार्यालय आदेश

लखनऊ विश्वविद्यालय में शासन द्वारा सृजित पदों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन सुविधा (NPS) प्रदान की जा रही है। संज्ञान में आया है कि उक्त योजना से आच्छादित कई लाभार्थी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उक्त योजना हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

अवगत कराना है कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों व उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित करना है। यदि आवेदन पत्र नहीं भरे जायेंगे तो सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के लाभ से शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी व उनका परिवार वंचित रह जायेगा।

अतः उक्त योजना से आच्छादित लाभार्थी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों से अपेक्षित है कि वे नवीन अंशदायी पेंशन योजना का आवेदन पत्र, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध है, पर वांछित सूचना अंकित कर केन्द्रीय लेखा कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

संख्या : 2568-2618/Fo दिनांक : 19-03-2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति, मा. कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, ल.वि.वि. को इस अनुरोध के साथ कि कृपया स्वयं के स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, ल.वि.वि.।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/कुलानुशासक/पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय/सी.एल.एल., ल.वि.वि.।
5. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल.वि.वि.।
6. चेयरमैन, डेलीगेसी/एथेलेटिक एसोसिएशन, ल.वि.वि.।
7. कमाण्डेण्ट, एन.सी.सी. नेवल/एन.सी.सी., ल.वि.वि.।
8. समन्वयक, एन.एस.एस., ल.वि.वि.।
9. निदेशक यू.डी.आर.सी., लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।
10. निदेशक, आई.पी.पी.आर. ल.वि.वि.।
11. डा. आर.एस. गुप्ता, डी.डी.ओ. (नवीन पेंशन योजना), ल.वि.वि.।
12. लेखाधिकारी/उप-कुलसचिव (लेखा), ल.वि.वि.।
13. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल.वि.वि.।
14. गार्ड फाइल।

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी